



VISION IAS

www.visionias.in

P169

प्रशासन

सामान्य अध्ययन



णमो आयरियाणं

Plus Pramesh eLib

www.pluspramesh.in



VISIONIAS

www.visionias.in

Classroom Study Material

शासन

विकास प्रक्रियाएं तथा विकास उद्योग – गैर-सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों व संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों/
हितधारकों की भूमिका

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. विकास प्रक्रियाएं (Development Processes)	4
1.1. विकास और विकास प्रक्रिया क्या है?	4
2. सिविल सोसायटी (नागरिक समाज) (Civil Societies)	5
2.1. सिविल सोसाइटी क्या है?	5
2.2. भारत में सिविल सोसायटी	6
2.3. भारत में सिविल सोसाइटी के प्रकार	7
2.4. स्वैच्छिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति	8
3. गैर-सरकारी संगठन	8
3.1. NGOs क्या हैं? (What are NGOs?)	8
3.2. NGOs के प्रकार (Types of NGOs)	9
3.3. विकास में NGOs की भूमिका	10
3.4. पर्यावरण संरक्षण में NGOs की भूमिका	11
3.5. भारत में NGOs द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ	12
3.6. राज्य बनाम NGOs (State v/s NGOs)	13
3.7. NGOs की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु सुझाव	14
4. स्वयं सहायता समूह	15
4.1. SHGs क्या हैं? (What are SHGs?)	15
4.2. SHGs कैसे कार्य करते हैं?	15
4.3. भारत में SHGs का उद्भव	16
4.4. SHGs के लाभ (Benefits of SHGs)	17
4.5. SHGs से संबद्ध सामान्य मुद्दे (General issues related to SHGs)	17
4.6. ग्रामीण क्षेत्रों में SHGs के प्रवेश में सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएं	18
4.7. SHGs को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदम	18
4.8. SHGs की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए सुझाव	19
5. विकास में सहायता और निजी वित्त पोषण	20
5.1. भारत में विकास सहायता	20
5.2. भारत में विदेशी सहायता (Foreign Aid to India)	21
5.3. विदेशी वित्त पोषण एवं NGOs	22
5.4. भारत से विदेशी सहायता	23
6. सूक्ष्मवित्त संस्थाएं (Microfinance Institutions)	24

6.1. सूक्ष्मवित्त संस्थान क्या हैं?	24
6.2. विकास में सूक्ष्मवित्त संस्थानों की भूमिका	25
6.3. सूक्ष्मवित्त संस्थानों से संबंधित मुद्दे	26
6.4. सूक्ष्मवित्त संस्थानों के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु सुझाव	26
7. सोसाइटी, न्यास, दानकर्ता, लोकोपकारी संस्था और अन्य पक्ष/हितधारक	27
7.1. सोसाइटी (Societies)	27
7.2. न्यास, रिलीजियस एनडाउनमेंट (धार्मिक धर्मस्व) और वक्फ	27
7.2.1. न्यास (Trusts)	28
7.2.2. रिलीजियस एनडाउनमेंट (धार्मिक धर्मस्व)	28
7.2.3. भारत में वक्फ (Waqfs in India)	29
7.3. श्रमिक संघ (Trade Unions)	30
8. विगत वर्षों में Vision IAS GS में टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न	30
9. विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा पूछे गए प्रश्न	42

VISION IAS
This document is personalised for



1. विकास प्रक्रियाएं (Development Processes)

1.1. विकास और विकास प्रक्रिया क्या है?

(What is Development and Development Process?)


- विकास (development) शब्द के कई अर्थ हैं, लेकिन प्रायः इसे आर्थिक संवृद्धि (economic growth) से जोड़ कर देखा जाता है। जबकि व्यापक संदर्भ में इसे सामाजिक विकास, संधारणीय विकास और मानव विकास जैसे वृहद् अर्थों से जोड़कर देखा जाता है।
- सरल शब्दों में, विकास का अर्थ है 'एक ऐसा सामाजिक परिवर्तन लाना जो लोगों को उनकी मानवीय क्षमता प्राप्त करने में सहायक हो।
- अमर्त्य सेन ने विकास की अवधारणा को एक नया आयाम दिया है। वह विकास को एक राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं।
- सेन के अनुसार, विकास में उन विभिन्न प्रकार के अस्वातंत्र्य या स्वातंत्र्यविहीनताओं (unfreedoms) का निवारण शामिल है जो लोगों को उनके सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने में थोड़े विकल्प और थोड़े अवसर प्रदान करती हैं।

विकास के आयाम

- एक राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में विकास: इसे किसी एजेंसी (राज्य या विकास संगठन) द्वारा दूसरों के लिए किए गए कार्य के रूप में समझा जा सकता है। इसे राजनीतिक प्रक्रिया कहा जाता है क्योंकि यह इस बात पर प्रश्न उठाता है कि किसी के लिए कुछ करने की शक्ति किसके पास है।
- मानव विकास: सेन इस दृष्टिकोण के प्रमुख वक्ता रहे हैं। वे आर्थिक संवृद्धि को विकास के मापक के रूप में समझे जाने वाले दृष्टिकोण को अत्यंत दोषपूर्ण और अपर्याप्त मानते हैं। उन्होंने मानव अधिकारों को विकास के एक मौलिक भाग के रूप में सम्मिलित करते हुए इस (विकास) शब्द को पुनः परिभाषित किया और यह भी व्याख्या की कि सामाजिक परिवर्तन की सभी उचित प्रक्रियाएं अधिकार-आधारित और आर्थिक रूप से एक-साथ स्थापित होती हैं। सेन के द्वारा प्रतिपादित क्षमता दृष्टिकोण (capability approach) समाज के सबसे निचले हिस्से में रहने वाले लोगों के कल्याण पर केंद्रित है, न कि शीर्ष पर विद्यमान लोगों की दक्षता पर।
- संधारणीय विकास: ब्रुन्डटलैंड आयोग की रिपोर्ट जो बाद में "हमारा साझा भविष्य" (Our Common Future) शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई, इसमें संधारणीय विकास को एक ऐसे विकास के रूप में परिभाषित किया गया है जो भावी पीढ़ियों को उनकी स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता के साथ समझौता किए बिना, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसे प्राप्त करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र ने संधारणीय विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals: SDGs) को अपनाया है जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है।



उल्लेखनीय है कि SDGs के goals (लक्ष्य) और targets (प्रयोजन) सार्वभौमिक हैं, जिसका अर्थ है कि वे दुनिया भर के सभी देशों पर लागू होते हैं, न कि केवल गरीब देशों पर। लक्ष्यों (goals) को हासिल करने के लिए सभी मोर्चों पर कार्यवाही की आवश्यकता है – सरकार, व्यवसाय, सिविल सोसाइटी और जनता। सभी को कोई न कोई भूमिका निभानी है।



- **आर्थिक विकास:** आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक राष्ट्र अपनी जनता के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करता है। यह आर्थिक संवृद्धि से एक प्रकार से भिन्न है क्योंकि इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक, दोनों परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कम आय वाली राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तित होती हैं।
- **सामाजिक विकास:** सामाजिक विकास का अर्थ है जनता के चहुंमुखी विकास हेतु निवेश करना। इसके लिए विभिन्न बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता होती है ताकि सभी नागरिक आत्मविश्वास और गरिमा के साथ अपने सपनों की ओर आगे बढ़ सकें। यह इस अवधारणा का परित्याग करना है कि गरीबी में रहने वाले लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे। यह लोगों की सहायता करने से संबंधित है ताकि वे आत्मनिर्भरता के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। भारत के संदर्भ में, यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बाधाएं, किसी के सामर्थ्य को अनुभव करने और सामाजिक स्वतंत्रता का आनंद लेने में बड़ी रुकावटें सिद्ध होती हैं। राज्य द्वारा की गई कार्यवाही के माध्यम से इस प्रकार की बाधाओं को दूर करना सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

2. सिविल सोसाइटी (नागरिक समाज) (Civil Societies)

2.1. सिविल सोसाइटी क्या है?

(What are Civil Societies?)

विश्व बैंक के अनुसार, सिविल सोसाइटी वस्तुतः संगठनों, सामुदायिक समूहों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), श्रमिक संघों, स्वदेशी समूहों, धर्मार्थ संगठनों, आस्था-आधारित संगठनों, पेशेवर संघों और प्रतिष्ठानों के एक विस्तृत समूह को संदर्भित करता है।

- वैश्विक स्तर पर, 'सिविल सोसाइटी' पद 1980 के दशक में लोकप्रिय हुआ, जब इसे सत्तावादी शासन (authoritarian regime) का विरोध करने वाले गैर-राज्यीय आंदोलनों के साथ पहचान मिली, विशेष रूप से पूर्वी यूरोप और लैटिन अमेरिका में।



- जब सिविल सोसाइटी आपस में संगठित होते हैं तब कभी-कभी इन्हें "तृतीय क्षेत्रक" (सरकार और वाणिज्य के बाद) भी कहा जाता है। ऐसे में इनके पास निर्वाचित नीति निर्माताओं और व्यवसायों के कार्यों को प्रभावित करने की शक्ति होती है।
- प्रसिद्ध सिविल सोसाइटी संगठनों के उदाहरणों में एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF), ग्रीनपीस और डेनिश रेफ्यूजी काउंसिल (DRC) सम्मिलित हैं।

निम्नलिखित चित्र सिविल सोसाइटी के अस्तित्व और संधारणीयता हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण कारकों को दर्शाता है:



2.2. भारत में सिविल सोसायटी

(Civil Society in India)

- भारत में सिविल सोसाइटी अपनी शक्तियां स्वेच्छा से अपनी सेवा समर्पित करने की गांधीवादी परंपरा से प्राप्त करती हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये स्वयं को सक्रियतावाद के कई भिन्न-भिन्न रूपों से जोड़ चुके हैं। स्वतंत्र भारत में, गांधीजी और उनके अनुयायियों द्वारा आरंभ किए गए स्वैच्छिक संगठनों की प्रारंभिक भूमिका वस्तुतः विकास प्रक्रिया के दौरान सरकार द्वारा छोड़े गए अंतरालों को भरने की थी।
- स्वयंसेवकों ने गांवों में हथकरघा बुनकरों को सहकारी समितियों के गठन के लिए संगठित किया, जिसके माध्यम से वे अपने उत्पाद का सीधे तौर पर विपणन कर सकते थे और बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते थे। अमूल ऐसे ही एक सहकारी आंदोलन का परिणाम है।
- सिविल सोसाइटी सुशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूंकि भारत में सहभागी लोकतंत्र नहीं है, अपितु यहाँ प्रतिनिधि लोकतंत्र है, अतः सरकार स्वयं ही सभी प्रमुख निर्णय लेती है। इस प्रकार यहाँ सिविल सोसाइटी सरकार और जनता के मध्य अंतःक्रिया के लिए इंटरफेस के रूप में कार्य करते हैं।
- सुशासन में सिविल सोसाइटी के निम्नलिखित कार्यात्मक योगदान हो सकते हैं:
 - पहरेदार: मानवाधिकारों का उल्लंघन और शासकीय त्रुटियों के विरुद्ध।
 - पक्षसमर्थक (एडवोकेसी): कमजोर वर्ग के दृष्टिकोण का समर्थक।
 - आंदोलनकारी: पीड़ित नागरिकों की ओर से।
 - शिक्षक: नागरिकों के उनके अधिकारों, हक/पात्रता और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने में और सरकार को लोगों के मनोभाव के बारे में सचेत करने में।



- **सेवा प्रदाता:** उन क्षेत्रों और लोगों के लिए जहां तक आधिकारिक प्रयास पहुँच नहीं पाए हैं या सरकार के एजेंटों के रूप में।
- **संघटक (Mobiliser):** किसी कार्यक्रम या नीति के पक्ष में या उसके विरुद्ध सार्वजनिक राय का संघटक।
- सिविल सोसाइटी 'सामाजिक पूंजी' के माध्यम से कार्य करता है। यहाँ सामाजिक पूंजी का तात्पर्य साझे दीर्घकालिक हितों को पूरा करने हेतु लोगों के स्वेच्छापूर्वक एक-साथ कार्य करने की क्षमता से है। किसी सजातीय, समतावादी समाज में सामाजिक पूंजी सशक्त होती है।

2.3. भारत में सिविल सोसाइटी के प्रकार

(Types of Civil societies in India)

सिविल सोसाइटी संगठन जिस कानून के अधीन कार्य करते हैं तथा जिन गतिविधियों को वे संचालित करते हैं, उस आधार पर हमारे देश में सिविल सोसाइटी को निम्नलिखित व्यापक वर्गों में बांटा जा सकता है (जैसा कि 2nd ARC ने निर्धारित किया है):

- विशिष्ट उद्देश्यों के लिए गठित पंजीकृत सोसाइटियां;
- धर्मार्थ संगठन तथा न्यास;
- स्थानीय हितधारक समूह, माइक्रोक्रेडिट तथा निक्षेप संस्थाएं, SHGs;
- व्यावसायिक स्व-नियामक निकाय;
- सहकारी समितियां;
- बिना किसी औपचारिक सांगठनिक संरचना वाले निकाय; तथा
- सरकार द्वारा समर्थित तृतीय क्षेत्र के संगठन।

हालांकि, सभी गैर-सरकारी तथा गैर-लाभकारी संगठनों को सम्मिलित कर व्यापक रूप से उन्हें निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- **नागरिक अधिकारों के समर्थक संगठन:** महिलाओं, प्रवासियों, दिव्यांग जनों, HIV से संक्रमित लोगों, यौन कार्मिकों, दलितों, जनजातीय लोगों, तथा इस प्रकार के अन्य समुदायों के मानवाधिकारों को समर्थन तथा प्रोत्साहन देना।
- **नागरिक स्वतंत्रता के समर्थक संगठन:** विशिष्ट सामाजिक समूहों पर ध्यान केन्द्रित करने के स्थान पर वैयक्तिक नागरिक स्वतंत्रता तथा सभी नागरिकों के मानवाधिकारों को प्रोत्साहन देना।
- **समुदाय आधारित संगठन, नागरिक समूह, किसान सहकारी समितियां:** सार्वजनिक नीति से संबंधित मुद्दों में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना ताकि किसी समुदाय विशेष में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
- **व्यावसाय तथा उद्योग संगठन:** व्यावसाय से संबंधित नीतियों तथा कार्यों का प्रोन्नयन करना।
- **श्रमिक संघ:** कर्मचारियों एवं श्रमिकों के अधिकारों को प्रोत्साहन देना।
- **अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं मानवाधिकार संगठन:** शान्ति तथा मानवाधिकारों को प्रोत्साहन देना।

या अधिक मीडिया प्रसारणों, प्रसारणों की प्रस्तुती, तथा

प्रसार; इसमें टेलीविज़न, प्रिंटिंग तथा रेडियो सम्मिलित हैं।

- **राष्ट्रीय संसाधन संरक्षण तथा सुरक्षा संगठन:** सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि, जल, ऊर्जा, वन्य-जीवन तथा पादप संसाधनों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देना।
- **निजी तथा सार्वजनिक आधार:** अनुदानों तथा साझेदारी के माध्यम से विकास को प्रोत्साहन देना।
- **सिविल सोसाइटी में ये भी सम्मिलित हैं:** राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन, हाउसिंग सहकारी समितियां आदि।

2.4. स्वैच्छिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति

(National Policy on Voluntary Sector)

स्वैच्छिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति, 2007 वस्तुतः एक स्वतंत्र, रचनात्मक एवं प्रभावी स्वैच्छिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, सक्षमता प्रदान करने तथा उसे सशक्त बनाने के प्रति एक संकल्प है ताकि यह भारत क लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक उन्नति में सहायक हो सके।

इस नीति के लक्ष्य

- स्वैच्छिक संगठनों (Voluntary Organizations: VOs) के लिए एक सक्षम वातावरण का निर्माण करना, जिससे न केवल उनकी प्रभावकारिता में वृद्धि हो बल्कि उनकी पहचान की रक्षा हो सके तथा उनकी स्वायत्तता भी कायम रखी जा सके।
- स्वैच्छिक संगठनों को भारत तथा विदेशों से आवश्यक वित्तीय संसाधनों की प्राप्ति हेतु क़ानूनी अधिकार प्रदान करना।
- ऐसी प्रणाली की पहचान करना जिससे सरकार स्वयं स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ काम कर सके।
- पारदर्शी तथा उत्तरदायी शासन एवं प्रबंधन प्रणालियों को अपनाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करना।

इस प्रकार, स्वैच्छिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति, 2007 एक ऐसी प्रक्रिया को आरम्भ करने की परिकल्पना करती है जिससे स्वैच्छिक संगठनों की स्वायत्तता एवं पहचान को प्रभावित किए बिना सरकार तथा स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच एक नवीन कार्य-संबंध (working relationship) विकसित हो सके।

विश्लेषण

- स्वैच्छिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति, 2007 में परिकल्पित अधिकतर नीतियों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका है, जबकि अधिकांश हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात् इन दिशा-निर्देशों को आकार दिया गया था।
- गैर-लाभकारी संगठन के लिए एक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त एजेंसी के विचार का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है।
- इस नीति में NGOs द्वारा स्व-नियमन, पारदर्शिता तथा जवाबदेही के पालन का आह्वान किया गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय तथा IB की रिपोर्ट इसके विपरीत हैं।
- इसके अतिरिक्त, किसी स्वैच्छिक संगठन का विविधतापूर्ण चरित्र एकल समान नियामक प्राधिकरण से मेल नहीं खाता।

3. गैर-सरकारी संगठन

(Non-Governmental Organizations: NGOs)

3.1. NGOs क्या हैं? (What are NGOs?)

संरचनात्मक रूप से व्यवस्थित तथा विशेष प्रकार का कार्य निष्पादित करने वाली सिविल सोसाइटी को NGOs कहते हैं।

NGOs की विशेषताएं

- यह निजी व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो कुछ विशेष सामाजिक सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं।
- वे जिस समुदाय की सेवा कर रहे होते हैं, उसके विकास के लिए अपनी गतिविधियों को एक विशेष रूप प्रदान करते हैं।
- यह एक प्रकार का सामाजिक विकास संगठन होता है।
- ये स्वतंत्र, प्रजातांत्रिक और गैर-नस्लीय सार्वजनिक संगठन होते हैं, जो आर्थिक और/या सामाजिक रूप से वंचित लोगों के सशक्तीकरण के लिए कार्य करते हैं।
- NGOs ऐसे संगठन होते हैं, जो किसी भी राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहीं होते।



भारत में NGOs का उद्भव



अवधि	गतिविधियाँ
स्वतंत्रता से पूर्व	समाज कल्याण, स्वतंत्रता आंदोलन से संबद्ध रचनात्मक कार्य (गांधीजी के दर्शन से प्रभावित)।
1950-1970	समाज कल्याण, सरकार द्वारा वित्तपोषित एवं प्रबंधित NGOs (जैसे- खादी एवं ग्रामोद्योग), पंचवर्षीय योजनाएं अस्तित्व में आईं, अधिकतर विकासात्मक कार्य NGOs द्वारा निष्पादित।
1970-1990	1970 के दशक में नागरिक समाज का उद्भव हुआ। इस दौरान NGOs ने यह बताना शुरू कर दिया कि सरकारी कार्यक्रम क्यों गरीबों एवं वंचितों तक अपेक्षित रूप से नहीं पहुँच पायीं हैं, तथा उन्होंने जन-भागीदारी वाले विकासात्मक कार्यों के नए मॉडल पेश किए। इस नए मॉडल के अंतर्गत NGOs को कई विस्तृत कार्यक्रमों में शामिल किया गया, जैसे- शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, सूक्ष्म सिंचाई, वन पुनरुद्धार, जनजाति विकास, महिला विकास, बाल मजदूरी, प्रदूषण से सुरक्षा आदि। बाद में इनमें से अधिकांश मॉडलों को सरकारी कार्यक्रमों में शामिल किया गया।
1990-2005	इस अवधि में सरकार एवं NGOs के मध्य भागीदारी में उछाल आया। NGOs ने इस दौरान SHGs, सूक्ष्म ऋण, एवं आजीविका पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। नीति-निर्माण एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन में NGOs की भागीदारी सुनिश्चित की गयी।

3.2. NGOs के प्रकार (Types of NGOs)

1980 के दशक में, भारत में निम्नलिखित तीन प्रकार के NGOs/स्वैच्छिक आन्दोलन उभरे:

- **परम्परागत विकास से संबंधित NGOs :** ये NGOs सीधे तौर पर जनता से जुड़े होते हैं, गाँवों और जनजातीय क्षेत्रों में जाते हैं तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्रामीण विकास आदि से संबंधित आधारभूत विकास कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए- मध्य भारत में बाबा आमटे द्वारा कुछ रोगियों की चिकित्सा हेतु उपचार केंद्र।
- **सक्रियतावादी (Activist) NGOs :** ऐसे NGOs सक्रियतावाद को अपने लक्ष्य तक पहुँचने का प्राथमिक साधन समझते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि वे अधिकारियों को किसी अन्य ढंग से कार्य हेतु तत्पर कर सकते हैं। इस वर्ग में आने वाले NGOs का सर्वाधिक प्रसिद्ध उदाहरण नर्मदा बचाओ आन्दोलन है। यह एक ऐसा संगठन है जिसने मध्य भारत में नर्मदा नदी पर बांधों की एक श्रृंखला के निर्माण का विरोध किया था।
- **रिसर्च NGOs:** ऐसे NGOs किसी विषय या मुद्दे का सघन तथा गहन विश्लेषण करते हैं, और सरकार, उद्योग जगत या अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने के लिए जनमत तैयार करते हैं। उदाहरण- सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण से संबंधित कार्यों में संलग्न है।

हालांकि, यह वर्गीकरण कठोर तथा अनम्य नहीं है। NGOs बहुत प्रकार के कार्यों में संलग्न रहते हैं जिन्हें एक या दूसरे ऐसे वर्ग में रखा जा सकता है।